

बिहार सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना सं०- सी०/ई०एच०-38/2000-.....⁴⁴²¹जे०, पटना, दिनांक²⁰.....जुलाई, 2016

राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में पटना उच्च न्यायालय में मगकारी मुकदमों के संचालनार्थ विधि पदाधिकारियों के स्वीकृत पदों के विरुद्ध निम्नरूपेण वरीय अधिवक्ताओं/ अधिवक्ताओं को प्रधान अपर महाधिवक्ता/अपर महाधिवक्ता/राजकीय अधिवक्ता/स्थायी समुपदेशक/ सरकारी वकील के रूप में नियुक्त किया जाता है:-

प्रधान अपर महाधिवक्ता

- 1- श्री ललित किशोर, वरीय अधिवक्ता
- 2- श्री चितरंजन सिन्हा, वरीय अधिवक्ता-229/1975

अपर महाधिवक्ता

- 1- श्री पी० के० वर्मा, वरीय अधिवक्ता
- 2- श्री अंजनी कुमार, वरीय अधिवक्ता
- 3- श्री एस० रजा अहमद, वरीय अधिवक्ता
- 4- श्री पुष्कर नारायण शाही, वरीय अधिवक्ता
- 5- श्री यांगेन्द्र प्रसाद सिन्हा, 1009/1969
- 6- श्री कौशल कुमार झा, 1672/1991
- 7- श्री सूर्यदेव यादव, 58/1983
- 8- श्री अजय कुमार रस्तांगी, 460/1983
- 9- श्री राज बल्लभ प्रसाद यादव, 726/76
- 10- श्री खुर्शीद आलम, 876/1989
- 11- श्री सर्वेश कुमार सिंह, 294/1998-ए०ओ०आर०-01224
- 12- श्री दुर्गेश नन्दन, 1005/81
- 13- श्री आशुतोष रंजन पांडेय, 961/87

राजकीय अधिवक्ता

- 1- श्री अनिल कुमार सिन्हा, 1810/1991
- 2- श्री विनय किर्ति सिंह, 364/1983
- 3- श्री सुभाष प्रसाद सिंह, 1092/1981
- 4- श्री पार्थ सारथी, 1941/1995
- 5- श्री अजय, 1580/1998
- 6- श्रीमती नम्रता मिश्रा, 533/1999
- 7- श्री निवेदिता निर्विकार, 1327/1995
- 8- श्री अजय बिहारी सिन्हा, 505/1979
- 9- मा० सैयद अलमदार हुसैन, 850/82
- 10- श्री राजेश्वर सिंह, 2368/1993
- 11- श्री राघवानन्द, 170/2001
- 12- श्रीमति शिल्पा सिंह, 7011/99
- 13- श्री अमित प्रकाश, 5734/1996



स्थायी सम्पदेशक

- 1- श्री नसरूल हांदा खॉ, डी 66/86बी/1986
- 2- डा0 अनिल कुमार उपाध्याय, 445
- 3- श्री सुनील कुमार मंडल, 909/1990
- 4- श्री अरविन्द उज्ज्वल, 160/1982
- 5- श्री कुमार मनीष, 1436/1998
- 6- श्री अब्बास हैदर, 2726/1996
- 7- श्री कुमार आलोक, 1762/1991
- 8- श्री शिव शंकर प्रसाद, 1992
- 9- श्री किकर कुमार, 1869
- 10- मा0 रमूल हक, 402/1980
- 11- श्री विकास कुमार, ए0आ0आर0-01186
- 12- श्री पंकज कुमार, 2001/2005
- 13- श्री जितेन्द्र कुमार राय-01, 832/93
- 14- श्री एस0एस0पी0यादव, 2009/1998
- 15- श्री अन्नत प्रसाद सिंह, 4649
- 16- श्री सुभाष चन्द्र मिश्रा, 1069/91
- 17- श्री गजेन्द्र प्रसाद यादव, 2023/96
- 18- श्री विनोद कुमार यादव, 690/2000
- 19- श्री ऋषि राज सिन्हा, 1992
- 20- श्री सैयद ईकबाल अहमद, 433/1979
- 21- श्रीमति अनुगधा सिंह, 6421/1996
- 22- श्री गद्येन्द्र कुमार, 929/2000
- 23- श्री नागेन्द्र प्रसाद यादव, 527/2002
- 24- श्री अनीरबन कुन्दु, 2680/1995
- 25- श्री सार्जोद सलीम खान, 1828/1998
- 26- श्री मनोज कुमार अम्बस्ट, 108/1995
- 27- श्री इन्द्रदेव प्रसाद , 315/1998

सरकारी वकील

- 1- श्री राजीव राय, 691
- 2- श्री प्रशांत प्रताप, 1599/2002
- 3- श्रीमति कुमारी अमृता, 1732/1995
- 4- श्री मधुरेश प्रसाद, 3406/1997
- 5- श्री नदीम मंगज, 14/1995
- 6- श्री सत्यव्रत वर्मा, 827/1998
- 7- श्री विवेक प्रसाद, डी/405/1994
- 8- श्री हरिश् कुमार, 2508/2001
- 9- श्री संजय कुमार गिरी, 6334/95
- 10- श्री कामेश्वर प्रसाद गुप्ता, 338/79
- 11- श्री कपिलेश्वर प्रसाद यादव, 2172/69

- 12-श्री मुजतबुद्दीन हक, 2754/1999
- 13 श्री बिरजू प्रसाद, 1270/1990
- 14-श्री धुरजटी कुमार प्रसाद, 3474/95
- 15-श्री सुभाष चन्द्र यादव, 1279/80
- 16-श्री सीता राम यादव, 3001/97
- 17-श्री कामेश्वर कुमार, 140/92
- 18-श्री राजकिशोर राय, 1513/1989
- 19-श्री उदय शंकर शरण सिंह, ए0ओ0आर0-00369
- 20-श्री मदनजीत सिंह, 3629/96
- 21-श्री अवनीश नन्दन सिन्हा, 2142/98
- 22-श्री सुशील कुमार, 86/1993
- 23-श्री माधव प्रसाद यादव, 435/92
- 24-श्री सर्वेश कुमार, 1903/2007
- 25-श्री रामाधार सिंह, 1166/92
- 26-श्री अनिल कुमार सिंह, 7857/96
- 27 श्री प्रभाकर झा, 2002/90

2. विधि पदाधिकारियों की यह नियुक्ति प्रभार ग्रहण करने की तिथि से अगले आदेश तक प्रभावी होगी तथा इस नई नियुक्ति के फलस्वरूप(निगरानीवादों के संचालनार्थ पूर्व से नियुक्त विधि पदाधिकारियों को छोड़कर) पूर्व में गठित विधि पदाधिकारियों का पैनल स्वतः समाप्त समझा जाएगा। परन्तु विधि पदाधिकारी (निगरानी) के रूप में पूर्व से नियुक्त दोनों विधि पदाधिकारी यथावत बने रहेंगे।

3. विधि पदाधिकारियों के कार्यों की मासिक समीक्षा विद्वान महाधिवक्ता/प्रधान अपर महाधिवक्ता के स्तर पर होगी तथा इससे संबंधित प्रतिवेदन उनके द्वारा प्रति माह विधि विभाग को भेजी जाएंगी तथा इसी आधार पर विधि पदाधिकारियों के कार्यों का समीक्षा राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त सर्माति, जिसमें विद्वान महाधिवक्ता/अपर महाधिवक्ता विशेष आमंत्रित व्यक्ति रहेंगे, के द्वारा की जाएंगी तथा समीक्षांपरान्त विधि पदाधिकारी का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर उन्हें विधि पदाधिकारी के पद से विमुक्त कर दिया जाएगा।

4. सभी विधि पदाधिकारी अपने कार्यों की विवरणी, जिसमें उनके द्वारा निष्पादित केम एवं विशेष रूप से सरकार के पक्ष एवं विपक्ष में पारित आदेश का उल्लेख करते हुए विद्वान महाधिवक्ता को प्रत्येक माह समर्पित करेंगे। इसमें यह भी उल्लेख करेंगे कि कितने मामले में प्रतिशपथ पत्र दाखिल हुआ और कितने में नहीं हुआ।


5. विधि पदाधिकारी अपने आवंटित मामलों में सुनवाई हेतु स्वयं उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

6. विधि पदाधिकारी सरकार के विरुद्ध आदेश होने पर विद्वान महाधिवक्ता को सूचित करते हुए संबंधित विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष को अपने परामर्श के साथ भेजेंगे कि इस मामले में अपील/पुनर्विचार दायर किया जा सकता है अथवा नहीं। इस संबंध में शीघ्रातिशीघ्र (अधिकतम एक सप्ताह के अन्दर) अपने परामर्श के साथ संबंधित विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष को सूचित करेंगे।

2

7. विधि पदाधिकारी सरकार के खिलाफ या सरकारी निगम/बोर्ड/अर्द्धनिकाय या जहाँ सरकार का कोई हित निहित है, के मामले में सरकार के विरुद्ध काम नहीं करेंगे, चाहे वह मामला उनकी नियुक्ति की तिथि के पूर्व का ही क्यों न हो। ऐसे मामले दृष्टान्त में आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार स्वतंत्र होगी।
8. पूर्व के आदेश को विलोपित करते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि महाधिवक्ता या प्रधान अपर महाधिवक्ता आठ-आठ सहायक अधिवक्ताओं की सेवा ले सकते हैं तथा अपर महाधिवक्ता को 6 सहायक अधिवक्ता, राजकीय अधिवक्ता को 5 सहायक अधिवक्ता एवं सरकारी वकील तथा स्थायी सलाहकार को चार-चार सहायक अधिवक्ताओं की सेवा अनुमान्य होगी, परन्तु सहायक अधिवक्ता को विधि व्यवसाय का तीन साल का अनुभव होना आवश्यक होगा। इस सम्बन्ध में पूर्व के सारे आदेश निरस्त किये जाते हैं।
9. सभी विधि पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि नियुक्ति के दो माह के अन्दर सहायक अधिवक्ता की नियुक्ति की अनुशंसा विद्वान महाधिवक्ता के माध्यम से बायोडाटा सहित विधि विभाग को भेज दें। उपर्युक्त अवधि के बाद प्राप्त अनुशंसाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही अगर बीच में किसी सहायक अधिवक्ता को हटाकर किसी दूसरे सहायक अधिवक्ता को नियुक्त किया जाता है तो सहायक अधिवक्ता को हटाने के एक सप्ताह के अन्दर विधि विभाग को महाधिवक्ता के माध्यम से सूचित किया जाएगा तथा उसके एक महीने के अन्दर दूसरे सहायक अधिवक्ता की नियुक्ति के लिए अनुरोध किया जाएगा। इस सम्बन्ध में पूर्व के आदेश निरस्त किये जाते हैं।
10. विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति संबंधी इस आदेश में नामित क्रमांक विधि पदाधिकारी के परस्पर वरीयता का निर्धारण नहीं माना जाएगा।
11. पटना उच्च न्यायालय के लिए नियुक्त उक्त विधि पदाधिकारियों को निर्धारित दर पर अनुमान्य प्रतिधारण/दैनिक एडमिशन/मुनवाई शुल्क देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(संजय कुमार) 20.7.2016
सरकार के सचिव, बिहार

ज्ञापांक..... 4421/जे0, पटना, दिनांक 20 जुलाई, 2016

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सी0डी0 प्रति(सॉफ्ट कॉपी) के साथ सूचनार्थ एवं बिहार गजट के असासधारण अंक में प्रकाशनार्थ तथा 100 गजट की प्रतियाँ इस विभाग में भेजने हेतु अग्रसारित।




(संजय कुमार)

सरकार के सचिव, बिहार

ज्ञापांक.....५५२१...../जे०, पटना, दिनांक.....२०.....जुलाई, २०१६

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना तथा कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




(संजय कुमार)

सरकार के सचिव, बिहार

ज्ञापांक.....५५२१...../जे०, पटना, दिनांक.....२०.....जुलाई, २०१६

प्रतिलिपि:- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/महाधिवक्ता, बिहार, पटना/मुख्य सचिव बिहार, पटना/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, पटना/अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद/सभी संबंधित विधि पदाधिकारी, उच्च न्यायालय, पटना/मभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/माननीय मंत्री (विधि) के आप्त सचिव एवं प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(संजय कुमार)

सरकार के सचिव, बिहार